भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2060**

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

**जम्मू-कश्मीर को प्रदत्त स्वायत्तता की समीक्षा**

2060. श्री महाबली सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सगीर अहमद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी रिपोर्ट के परिणाम क्या रहे; और
(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

**(क) : जी, हां।**

**(ख) : सिफारिशों का सार संलग्न है।**

**(ग) : राज्य सरकार से समिति की रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया है।**

*****

अनुलग्नक के पृष्ठ 6 का 1

लोक सभा अता० प्र० सं० 2060

दिनांक 17.12.2013 का लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 2060

सिफारिशों का सार

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 370

यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोगों को निर्णय लेना है कि अनुच्देद 370 को उसके मौजूदा प्रारुप में कब तक जारी रखा जाये और उसे कब स्थायी अथवा रद्द किया जाए। 60 साल पुराना यह मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा।

2. नेशनल कान्फरेन्स द्वारा स्वायत्तता की मांग

'स्वायत्तता' और उसकी मांग सम्बन्धी प्रश्न पर कश्मीर समझौते अथवा किसी अन्य तरीका अथवा किसी अन्य फार्मूले के आधार पर, वर्तमान प्रधान मंत्री जैसा भी उचित और सही समझें, के आलोक में विचार किया जा सकता है ताकि जहां तक सम्भव हो स्वायत्तता की बहाली हो सके।

राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा लोकप्रिय सरकार की बरखास्तगी के प्रश्न पर विचार किया जाये और इसका निराकरण किया जाये।

3. स्व-शासन की मांग

पीडीपी की ओर से श्री एम.एच. बेग ने 'स्वशासन' की अवधारणा को मौखिक रुप से स्पष्ट किया परन्तु पीडीपी द्वारा प्रस्तावित 'स्वशासन' पर पूरी तरीके से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वशासन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करने वाला दस्तावेज, कार्यवाहियों के दौरान पीडीपी द्वारा दिये गए वचन के अनुसार कार्यदल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

मूलत: ऐसा प्रतीत होता है कि स्वशासन को एक वृहद संदर्भ में लिया गया है, जिस पर स्वशासन सम्बन्धी विशिष्ट प्रस्तावों वाले दस्तावेजों के साथ सम्पर्क किये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। यह दस्तावेज रिकार्ड पर मौजूद होना चाहिए।

4. राज्य की विधान सभा का कार्यकाल

विधान सभा के कार्यकाल में कोई भी परिवर्तन किये जाने के लिए राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक सर्वसम्मति अपेक्षित होगी और इसे केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है।

5. विधान सभा में अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व/आरक्षण

राजनीतिक सर्वसम्मति के अध्यधीन इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पैटर्न एक अच्छा मार्ग-दर्शक हो सकता है।

6. राज्य विधान परिषद का लोप

वर्तमान स्थिति बनाई रखी जाये।

7. विधान सभा की सीटों की संख्या में वृद्धि और परिसीमन आयोग

चूंकि संवैधानिक प्रावधान वर्ष 2006 तक किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए मौजूदा स्थिति तब तक बनाई रखी जाये।

8. मंत्रि परिषद की नफरी

मंत्रालय का गठन और मंत्रि परिषद की नफरी संविधान की प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य मंत्री का विशिष्ट विशेषाधिकार है।

9. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण

पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित प्रजातांत्रिक निकायों के नियमित चुनाव आयोजित किये जायें।

10. मानवाधिकार

मानवाधिकार के उल्लंघनों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को उन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो मानव अधिकार की रक्षा करने में शामिल हैं जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग भी शामिल है।

रिपोर्ट के पाठ में यथासंस्तुत अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए जो आयोग के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही आयोग

जवाबदेही आयोग में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए और आयोग को पूरी तरह से क्रियाशील किया जाये।

....4/-

12. सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा लोगों के प्रतिनिधियों का एक समूह गठित किया जाना चाहिए जो नियमित रुप से राज्य के विभिन्न भागों में अधिनियम को लागू करने की समीक्षा करे ताकि इस सम्भावना की जानकारी हो सके कि क्या राज्य के किसी भी भाग से अधिनियम को वापस लिया जा सकता है।

13. कश्मीरी प्रवासियों से सम्बन्धित मुद्दे

केन्द्र और राज्य सरकारों को वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज सहित इस सम्बन्ध में स्वीकृत राहत और पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह द्वारा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की नियमित रुप से समीक्षा की जानी चाहिए। प्रवासी कर्मचारियों को यह गारन्टी देकर घाटी में वापसी हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनके बच्चों को शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलेगा और उन्हें और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

आईटीआई/एचएमटी जैसी बड़ी औद्योगिक यूनिटों को बहाल किया जाना चाहिए और प्रवासियों को इनके परिसरों में सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना चाहिए और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जम्मू क्षेत्र के भीतर मौजूद प्रवासियों को भी उसी पैटर्न पर राहत मुहैया करायी जानी चाहिए जिस पैटर्न पर कश्मीरी प्रवासियों को राहत उपलब्ध करायी जा रही है।

14. 1947, 1965 और 1971 के शरणार्थियों तथा जम्मू क्षेत्र के भीतर अन्य प्रवासियों से संबंधित मुद्दे

वाधवा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिए और भारत सरकार/राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार प्राप्त दल की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि इन सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

राज्य सरकार संविधान के अन्तर्गत यथा अनुमेय पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को राहत उपलब्ध कराने पर विचार करे। अन्यथा एकबारगी निपटान के रुप में नगद राहत देने संबंधी एक वैकल्पिक पैकेज पर विचार किया जा सकता है।

राज्य सरकार तकनीकी संस्थानों में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के बच्चों के लिए सीमित संख्या में सीटें उपलबध कराये और भारत सरकार उन्हें जम्मू एवं कश्मीर में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में दो प्रतिशत की सीमा तक रोजगार मुहैया कराये।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए अन्य शरणार्थियों तथा सीमा प्रवासियों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाये तथा उनके पुनर्वास हेतु समुचित कदम उठाये जायें। इसी प्रकार, वर्ष 1999 (कारगिल संघर्ष के बाद) विस्थापित हुए लोगों का भी समुचित पुनर्वास किया जाना चाहिए।

15 विधान सभा में जम्मू का कम प्रतिनिधित्व

चूंकि वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक अड़चन मौजूद है, इसलिए एक नया परिसीमान आयोग उसके बाद ही गठित किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान स्थिति बनाई रखी जाये।

16 जम्मू के प्रति भेदभाव

नीतियां बनाते समय गजेन्द्रगडगर आयोग और सिकरी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए।

जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्रों तथा जिला सेक्टरों में योजनागत व्यय में कोई भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है और यह स्थिति बनाये रखें (विस्तृत कारण देखें)

सभी क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी की दर 'समान काम के लिए समान वेतन' के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि आईआरडीएफ के अन्तर्गत व्यवहार्य परियोजनायें अथवा कोई अन्य परियोजनायें विचारार्थ तैयार की जायें।

दूरदर्शन के कशीर चैनल की तरह एक डोगरी चैनल चलाया जाये ।

तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु श्रीनगर स्थित एनआईटी और जम्मू के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज को आईआईटी स्तर का बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार राज्य में एक आईआईएम की स्थापना भी करे।

....6/-

तकनीकी रुप से योग्य युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जायें।

राज्य सरकार द्वारा हाल में गठित वित्त आयोग राज्य के किसी भी क्षेत्र में शेष रह गई किसी भी शिकायत के निराकरण हेतु एक उचित मंच होगा।

वित्त आयोग को दिये गये कार्य क्षेत्र को प्रभावी रुप से लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि स्थायी समाधान सम्भव हो सके।

यद्यपि गजेन्द्रगडगर आयोग, सिकरी आयोग और वजीर आयोग की सिफारिशों को बहुत हद तक कार्यान्वित किया जा चुका है, फिर भी राज्य सरकार यह जांच करे की क्या कोई और कार्यवाही अपेक्षित है जिससे कि कुछ सदस्यों द्वारा किये गये उल्लेख के अनुसार राज्य के किसी भाग के भेदभाव की आशंका समाप्त की जा सके।

राज्य सरकार इस बयान पर भी विचार करे कि नागरिक सचिवालय और एचओडी कार्यालयों में अधिकांश संख्या में अराजपत्रित कर्मचारी कश्मीर घाटी के हैं और यदि ऐसा है तो समुचित उपाय द्वारा सही किया जाना चाहिए।

17. <u>लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा</u>

यह सिफारिश नहीं कि जाती है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य की एकता और अखण्डता पर कोई प्रभाव पड़े और इसलिए लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिये जाने की सिफारिश नहीं की जाती है।

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का कार्यकरण बहुत सफल रहा है और यह अपना सराहनीय कार्य जारी रखे।

जहां तक लद्दाख में निर्माण में अधिक लागत का सम्बन्ध है, राज्य सरकार/वित्त आयोग इस क्षेत्र के लिए उचित बजट का प्रावधान करे।

लद्दाख के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

18. <u>लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की स्थिति</u>

इसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की जाती है कि निर्वाचित सरकार यह सुनिचित करे कि समुचित अवसरों पर राज्य के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के आधार पर या तो जम्मू/कश्मीर अथवा लद्दाख से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

....7/-

19. उच्चतम न्यायालय में प्रतिनिधित्व

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ जम्मू एवं कश्मीर दोनों में मौजूद है और ये पूरे वर्ष क्रियाशील रहती हैं। राज्य के विशेष दर्जे को देखते हुए यह उचित होगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जम्मू और श्रीनगर दोनों से बनाये जायें।

20. क्षेत्रीय परिषदें

राज्य, राज्य नियोजन एवं विकास बोर्ड की स्थापना करे जो एक परामर्शदात्री बोर्ड होगा और राज्य सेक्टर के लिए स्कीमें तैयार करने पर विचार करें और स्कीमों को वरीयता दे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की मानीटरिंग करे।

बोर्ड में सदस्य के रुप में विधायक, विशेषज्ञ, पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे।

21. स्थानीय स्व-शासन

सभी पंचायती राज्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए और भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन पर राज्य द्वारा विचार किया जाना चाहिए ताकि इनका अनुपालन हो सके अथवा राज्य के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया जा सके।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए बेहतर अवसंरचना, सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराये जाने चाहिए। समग्र राज्य/जिला योजनाओं के भीतर पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजना पर विचार किया जाना चाहिए।

22. सेवा/पदोन्नति/व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण

पिछड़े समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण सम्बन्धी मुद्दों से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उचित मंच होगा ।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों के निवासियों को नियंत्रण रेखा के अनुसार उसी स्तर पर आरक्षण प्रदान करने सम्बन्धी मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

23. अन्य मुद्दे

कार्यदल-V के विचारार्थ विषयों में नहीं शामिल कतिपय अन्य मुद्दों, जो विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये, को सूचीबद्ध किया गया है जिस पर समुचित कार्यवाही हेतु विचार किया जा सकता है।

****